संख्या-14/2026/I/1281197/2026/002-71-4099/167/2021

प्रेषक,

चन्द्र शेखर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
ग्रेटर नोएडा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक-26.03.2026

विषय:-वित्तीय वर्ष-2025-26 में राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा से सम्बद्ध अस्पताल बिल्डिंग के बेसमेन्ट में सुदृढ़ीकरण (Maintenance & Construction of wall & Stitching floor at GIMS, Greater Noida) के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी0आई0एम0एस0/2026/314, दिनांक-20.02.2026 एवं रा0.अ0.सं0/2026/847, दिनांक-24.03.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा से सम्बद्ध अस्पताल बिल्डिंग के बेसमेन्ट में सुदृढ़ीकरण (Maintenance & Construction of wall & Stitching floor at GIMS, Greater Noida) के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूंजीलेखा पक्ष में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा के मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रश्नगत परियोजना में निर्माण कार्य हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रू0 1109.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने का अनुरोध किया गया है।

अवगत कराना है कि राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा में वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रश्नगत परियोजना हेतु प्रश्नगत परियोजना हेतु शासनादेश I/1091138/2025, दिनांक-16.09.2025 द्वारा निर्माण कार्य हेतु वित्त व्यय समिति द्वारा अनुमोदित लागत रुपये 2548.01 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में **रू0 891.80** लाख की अवमुक्त की गयी है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा से सम्बद्ध अस्पताल बिल्डिंग के बेसमेन्ट में सुदृढ़ीकरण (Maintenance & Construction of wall & Stitching floor at GIMS, Greater Noida) के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूंजीलेखा पक्ष में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा के मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्रश्नगत परियोजना में निर्माण कार्य हेतु अवशेष प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष सापेक्ष रू0 11,08,20,000/- (रूपये ग्यारह करोड़ आठ लाख बीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जायेगा।
2. धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।
3. धनराशि को कोषागार से संस्थान के वित्त अधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. उपर्युक्तानुसार निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति के आवंटन/व्यय के संबंध में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक-27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के सापेक्ष सुसंगत शर्तो/प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्थान/विश्वविद्यालय के प्रमुख एवं वित्त नियंत्रक का होगा।
5. शासनादेश संख्या- शासनादेश I/1091138/2025, दिनांक-16.09.2025 की शर्तों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 11,08,20,000 (रुपये ग्यारह करोड़ आठ लाख बीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031051400 राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(चन्द्र शेखर मिश्र),
संयुक्त सचिव

संख्या एवं तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा उ0प्र0।
3. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
4. प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
5. कोषाधिकारी, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर ।
6. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
7. वित्त अधिकारी, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
9. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
10. नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चन्द्र शेखर मिश्र)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।